खारिज

04.10.2024

फर्द अहकाम

(नियम 15)

[2024/607]

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ़

मंजुदेवी बनाम मनफुलगिर आदि

मुकदमा किस्म अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट प्रकरण संख्या 165 वर्ष 2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
18.09.2024	प्रार्थीया मंजुदेवी की तरफ से वकील श्री बलवन्तराम छिम्पा ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट पेश किया। रीडर की जांच रिपोर्ट के बाद प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र एवं सलग्न दस्तावेजों के अवलोकन के आधार पर अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि रोही मौजा बरमसर के ख.नं. 227/2 की 0.100 है., 228/2 की 0.127 है., 227 की दक्षिणी पूर्वी कोना की 0.026 है. कुल 0.253 है. भूमि को अप्रार्थीगण रहन बेय करने व प्रार्थीया को बेदखल करने से निषेद्ध रहें व रिकार्ड व मौका की यथास्थिति बनाये रखें। यह निषेधाज्ञा रास्ता, खाला, बैंक ऋण (रोड़ा एक्ट) एवं अन्य किसी राजकीय प्रयोजनार्थ पर लागू नहीं होगी। वकील प्रार्थीया, अप्रार्थी को साधारण डाक के साथ–साथ नोटिस रजिस्ट्रड डाक से तल्बी करवावें व रजिस्ट्रड डाक की रसीदें न्यायालय में 3 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे। पत्रावली आईन्दा तारीख 18.10.2024 को पेश हो। सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर	
4.10.2024	वकील प्रार्थी ने प्रार्थना-पत्र निकाल पेशी पेश करने पर पत्रावली को पेशी में लिया गया। वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रार्थना-पत्र राजीनामा होने के कारण आगे नहीं चलाना चाहते है। मौजूदा स्थिति में खारिज करवाना चाहते है। प्रार्थना-पत्र मौजूदा स्थिति में खारिज किया जाता है। पत्रावली जरूरी कार्यवाही बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर	

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Kumar
Date: 2024.10.15 11:57:15 IST
Reason: SelfAttested